**न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंझौल बेगूसराय**
**सामान्य पंजी संख्या – 2111/09**

**राज्य**

**बनाम**

**सुरेश सिंह एवं अन्य**

**दिनांक 15.11.19 :**

अभिलेख आज आदेश हेतु नियत है। अभियुक्तों की ओर से समयावेदन न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसे आज मात्र के लिए स्वीकृत किया जाता है। वाद के पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं

**आदेश**

बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा – 239 दं0 प्र. सं. दिनांक 28.06.2019 एवं अभियोजन की ओर से दाखिल प्रति उत्तर दिनांक 01.07.19 पर उभय पक्षों को सुना। बचाव पक्ष का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है और कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि मुरारी सिंह पिता – राम लखन सिंह ने नालसी वाद संख्या – 1907/09 इस वाद के दो अभियुक्तो सहित चार अभियुक्तों के खिलाफ किया था। जिसमें घटना की तिथि 10.02.09, 13.03.09 एवं 20.07.09 दर्शाया गया है एवं साथ ही समान अभियोग लगाया गया है। जांच साक्ष्य के बाद न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या अंतर्गत धारा 406 भा0 दं0 सं0 में कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार पाते हुए समन निर्गत किया जाता है। यह कि पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में सूचक सुशीला देवी, गोपाल सिंह, सबिता देवी, काली सिंह एवं शेखो सिंह का बयान गलत तरीके से लिया गया जिससे अंतर्गत धारा – 420, 448 भा0 दं0 सं0 का मामला नहीं बनता है। यह कि गृह अतिचार का आरोप भी अभियुक्तो पर नहीं बनता है क्योंकि केस डायरी के गवाहो ने कहा है कि सुरेश सिंह ने सुशीला देवी के बेटों को बाहर बुलाया। यह कि धारा – 420 के अंतर्गत भी आरोप नहीं बनता है, क्योंकि सुरेश सिंह और उसके पुत्र द्वारा कभी भी सुशीला देवी को समपत्ति देने हेतु प्रेरित नहीं किया गया। सुशीला देवी स्वयं कुछ पैसा सुरेश सिंह को नौकरी पाने हेतु स्वयं दी थी। यह कि अंतर्गत धारा – 504 भा0 दं0 सं0 का मामला भी नहीं बनता है। क्योंकि मामले के सूचक के द्वारा अपने ब्यान में सुरेश द्वारा किसी भी तरह के घमकी देने को या गाली–गलौज करने का कथन नहीं किया गया है। यह कि अभिलेख पर अभियुक्तों के विरूद्ध भा0 दं0 सं0 की धारा – 420, 448, 504 के अंतर्गत आरोप गठित करने के लिए कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः कांड दैनिकी में साक्षियों के बयान एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य के आलोक में प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। यह कि आवेदित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्त को आरोप से निर्मुक्त करने की कृपा की जाय। अभियोजन पक्ष का कथन है कि अनुसंधानकर्त्ता द्वारा ऋजु विवेचना के पश्चात् आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पर्याप्त सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या संज्ञान लिया गया। कांड दैनिकी का पैरा – 4, 6, 7, 8, 16, 22 एवं 77 में तथा पैरा 134 तथा 137 में उल्लेखित पर्यवेक्षण टिप्पणी के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्तो द्वारा भा0 दं0 सं0 की धारा – 420, 341, 323, 504/34 के अंतर्गत आरोप गठित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद के कांड दैनिकीं के साक्षी क्रमशः सुशीला देवी, गोपाल सिंह, लखन सिंह, सविता देवी, काली सिंह, शेखो सिंह के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त सुरेश सिंह एवं बालचन्द कुमार सिंह के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा – 420, 341, 323, 448, 504/34 के अंतर्गत आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

अतः बचाव पक्ष के आवेदन दिनांक 28.06.19 को तद्नुसार खारिज किया जाता है। वाद दिनांक वास्ते आरोप गठन । अभियुक्त आरोप गठन हेतु सदेह उपस्थित रहे।

योगेश कुमार मिश्र

न्या0 दंडा0 प्रथम श्रेणी, मंझौल